Website : www.highwaychannel.in
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 343 ▫ रायपुर, सोमवार 6 जनवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार गिरफ्तार

एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार

रायपुर, 6 जनवरी (हाईवे चैनल)। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार को हैदराबाद से एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की जांच को लेकर गठित एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार को देर रात गिरफ्तार किया, जिसे बीजापुर लाया जा रहा है। आपको बता दे कि एक जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई थी और शव को टैंक में डाल दिया गया था।

जिस टैंक में शव को डाला गया था वो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का ही बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद से ही सुरेश चंद्रकार फरार था, हालांकि उसका लोकेशन हैदराबाद में मिला था, इसके बाद स्ङ्ख्न की टीम रविवार की देर रात मौके पर छापामार कार्रवाई की गयी। एसआईटी की टीम ने मौके से हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर हैदराबाद से बीजापुर लाया जा रहा है। माना जा रहा है पूरे वारदात का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर ही है, जिसके कहने पर उसके भाइयों और गुर्गों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्रकार की पहले तो हत्या की और फिर अपने ही बाड़े में बने सेप्टिक टैंक में उसे डालकर ऊपर से स्लैब को ढाल दिया।

गिरफ्तारी के बाद हत्या से जुड़ी अहम कड़िया सामने आ सकती है। आपको बता दे कि इस वारदात की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार का वो प्रकरण है, जिसका खुलासा पत्रकार मुकेश ने किया था। 59 करोड़ के सड़क के निर्माण की राशि 120 करोड़ पहुंच जाने और इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद गुणवत्ताहीन सड़क बनने को लेकर मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। वही आला अधिकारियों ने बनी घटिया सड़क को दोबारा बनाने के निर्देश भी दिए थे। कहा जा रहा है इसी मीडिया रिपोर्ट के बाद सुरेश चंद्रकार, पत्रकार मुकेश से काफी नाराज चल रहा था।

लीवर के 4 टुकड़े...5 पसलियां और गर्दन तोड़ी; मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई बर्बरता

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बर्बरता से हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसे बेरहमी से मारा गया था। उसे खौफनाक तरीके से मौत दी गई थी। दम निकलने से पहले उसे यातनाएं दी गईं। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लीवर चार टुकड़ों में बंट मिला था, उसकी पांच पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। इसके अलावा हाथ की हड्डी दो टुकड़ों में टूटी थी। इसके अलावा हार्ट पूरी तरह से फट मिला है। सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए हैं। मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सेप्टिंक टैंक में डाल दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया है, उनका कहना है कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। इस हत्याकांड ने पूरे देश और प्रदेश को हिला कर रख दिया है। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को सीज किया है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर (33) एक जनवरी को अचानक लापता हो गए थे। तीन जनवरी को बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति के सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है।

सराफा व्यापारी की घर में घुसकर हत्या जेवरात व गाड़ी लूटकर ले गए नकाबपोश

कोरबा, 6 जनवरी (हाईवे चैनल)। नगर के एसएस प्लाजा स्थित अमृता ज्वैलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी की नकाबपोश लुटेरों ने घर मे घुसकर हत्या करने के बाद जेवरात और गाड़ी लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार, सराफा व्यापारी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निवास में दो नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना मिलते हैं कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्कॉट को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस ने घटना के मद्देनजर शहर के चौक चौराहा के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी है. घटना की सूचना पर बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ.संजीव शुक्ला कोरबा पहुंच गए हैं. घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वे पूरे मामले से अवगत हुए. इसके साथ मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद जिस तरह से आईजी का दौरा कोरबा में हुआ है, उससे कहीं न कहीं पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का बड़ा दबाव है।

फडणवीस सरकार के मंत्री ने लाड़की बहन योजना पर उठाए सवाल, बताया आर्थिक बोझ

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने आर्थिक बोझ करार दिया है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि लाड़की बहन योजना से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके चलते कृषि ऋण माफी योजना लागू नहीं हो पा रही है। पुणे में कृषि मंत्री कोकाटे ने कहा कि लाड़की बहन योजना के चलते पैदा हुए वित्तीय तनाव ने राज्य की अधिशेष बनाने की क्षमता को बाधित कर दिया है। इस अधिशेष से किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाता। एनसीपी नेता ने कहा लाड़की बहन योजना के कारण पैदा हुए बोझ ने कृषि ऋण माफी के लिए अलग से धन रखने की हमारी क्षमता को प्रभावित किया है। हम वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एक बार राज्य की आय बढ़ जाने के बाद हम अगले चार से छह महीनों में ऋण माफी योजना ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना को लागू करने का काम राज्य के सहकारिता विभाग का है। इसका फैसला मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लेंगे।

ब्रेकिंग न्यूज

एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी की तलाश जारी

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम लाइव पर एक युवक ने डिप्टी सीएम शिंदे को गाली दी और धमकी दी। बताया जा रहा है कि शिंदे को धमकी देने वाला शख्स ठाणे का रहने वाला हितेश प्रकाश ढेंडे (24) है। इस मामले में ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस युवक की तलाश कर रही है। शिवसेना पदाधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर इलाके के हितेश ढेंडे नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर एकनाथ शिंदे को अभद्र पोस्ट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए शिवसेना पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए।

चूहा- दिल्ली में कांग्रेस प्यारी बहन योजना लांच कर 2500 रूपये देने का वादा किया।

चुहिया- हां जी, महिला वंदन, लाडली बहना, महिला सम्मान योजना के बाद अब प्यारी दीदी कहना ही तो बचा था!

भारत पहुंचा एचएमपीवी वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कर्नाटक में दो बच्चे संक्रमित मिले, अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) संक्रमण की भारत में दस्तक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में दो बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण पाया है। तीन महीने की बच्ची और आठ महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है।

चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत में एचएमपीवी वायरस के दो केस सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि बंगलूरू के बैपटिस्ट अस्पताल में तीन महीने की एक बच्ची को ब्रोन्कोन्यूमोनिया बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बच्ची में एचएमपीवी होने की जानकारी मिली। उसे छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में आठ महीने के बच्चे में को भी संक्रमित पाया गया। उसका तीन जनवरी 2025 को नमूना लिया गया था। बच्चे की हालत भी ठीक है।

राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए राज्यपाल आरएन रवि, सदन को संबोधित करने से किया इनकार

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रगान के कथित अपमान से नाराज हो गए और विधानसभा सत्र को बिना संबोधित किए ही सदन से चले गए। तमिलनाडु विधानसभा के साल 2025 के पहले विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। नियमों के तहत विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरएन रवि के संबोधन से होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधानसभा सत्र की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार के राज्य गीत तमिल थाई वजथु का गायन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राज्यपाल

आरएन रवि ने तमिलनाडु के राज्य गीत के बाद राष्ट्रगान वादन की मांग की, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। इस बात से राज्यपाल इस कदर नाराज हो गए कि विधानसभा सत्र को संबोधित किए बिना ही सदन से चले गए। तमिलनाडु राजभवन ने पूरे विवाद पर बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर साझा बयान में राजभवन ने कहा कि भारत के संविधान और राष्ट्रगान का एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा में अपमान हुआ है। संविधान में पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान बताया गया है। सभी राज्य विधानसभाओं में सत्र की शुरुआत और समापन पर राष्ट्रगान का गायन होता है। आज सदन में राज्यपाल के आने पर सिर्फ तमिल थाई वजथु का ही गायन हुआ। राज्यपाल ने सदन को सम्मानपूर्वक संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और राष्ट्रगान के वादन की मांग की, लेकिन उनकी अपील को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सदन के स्पीकर ने खारिज कर दिया। यह गंभीर चिंता की बात है।

दिल्ली में महिलाओं को साधने की कोशिश में कांग्रेस, प्यारी दीदी योजना लॉन्च, हर महीने 2500 रुपये देने का वादा

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली चुनाव से पहले पार्टी के अभियान के हिस्से के रूप में प्यारी दीदी योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे। महिला कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए शिवकुमार ने मतदाताओं को आश्वासन दिया कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद इस पहल को लागू किया जाएगा।

लॉन्च इवेंट में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि आज, मैं प्यारी दीदी योजना का शुभारंभ करने के लिए यहां आया हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। यह कैबिनेट की पहली बैठक में ही तय किया जाएगा– उसी मॉडल पर जिसे हमने कर्नाटक में लागू किया था। कांग्रेस नेता ने अपने वादों को पूरा करने के प्रति पार्टी के समर्पण को रेखांकित करने के लिए कर्नाटक में सफलतापूर्वक शुरू किए गए इसी तरह के कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख किया।

दिल्ली कांग्रेस प्रभारी क़ाज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। समाज कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी सरकार बनते ही कांग्रेस ने समाज कल्याण की अपनी योजना पहली कैबिनेट में तय कर लागू की थी। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में कांग्रेस जरूरी है। प्यारी दीदी योजना दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का एक केंद्रीय स्तंभ है, जिसका उद्देश्य महिला मतदाताओं से जुड़ना और परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान करना है।

एक महीने बाद सुलझी खौफनाक हत्या की गुत्थी, सीरियल किलर निकला आरोपी, क्राइम शो देखकर किया मर्डर प्लान

रायपुर, 6 जनवरी (हाईवे चैनल)। रायपुर के अभनपुर इलाके में एक माह पहले एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसे पहले महज हादसा समझा गया था. अब इस मामले में पुलिस की गहन जांच के बाद एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या हुई थी वो भी तंत्र-मंत्र के नाम पर की गई थी. इस हत्याकांड में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि युवक का हत्यारा पहले से ही हत्या के एक अन्य केस में जेल की सलाखों के पीछे था। जानकारी के अनुसार, यह घटना एक महीने पहले अभनपुर थाना क्षेत्र के भरेंगाभाठा मुख्य मार्ग स्थित नर्सरी के पास हुई, जहां 35 वर्षीय नरेंद्र साहू का शव पाया गया था. मृतक ग्राम खोरपा का निवासी था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था.

वहीं इस मामले में अभनपुर पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नरेंद्र साहू की हत्या हुई थी. जिसके बाद पुलिस हत्या के आरोपी दुर्ग जिला निवासी खुशवंत तक पहुंची तो मालूम चला कि आरोपी ने तंत्र मंत्र के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या की योजना एक क्राइम शो देखकर बनाई थी. इस मामले में आरोपी ने अभनपुर के अलावा धमतरी और राखी थाना क्षेत्र में भी हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था. आरोपी पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में जेल में बंद है।

प्रशांत की गिरफ्तारी से गरमाई बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में हलचल

नई दिल्ली, 6 जनवरी (न्यूज चैनल)। सोमवार तड़के जिला प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। पीके की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में अचानक गरमाहट आ गई है। अनशन के जरिए पीके ने छात्रों और युवाओं की समस्याओं को उठाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी।

प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में 2 जनवरी से गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरना स्थल पर आकर छात्रों की समस्याएं सुनें और समाधान करें। जब सीएम ने अनशन स्थल पर जाने से इनकार कर दिया, तो पीके ने सुझाव दिया कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ही मुख्यमंत्री से मिले। यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीके को गिरफ्तार कर लिया। पीके की गिरफ्तारी ने उनके अभियान को नई धार दी है। कभी राजनीति सिखाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर में जो विराम देखा था, उसे अब यह अनशन और गिरफ्तारी संजीवनी देने का काम कर रही है। युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है।

जीपी सिंह के बाद अब उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत, एसीबी का आय से अधिक संपत्ति मामला रद्द

बिलासपुर, 6 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के अलावा उनकी पत्नी के पत्नी के खिलाफ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज कराए गए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के आय से अधिक संपत्ति के मामले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई. बता दें कि जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत राजद्रोह और एक्सटॉर्शन से संबंधित तीन अपराध पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में दर्ज कराए थे. मामले में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पूर्व में ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर गलत तरीके से दर्ज एफआईआर मान निरस्त कर दिया था. अब उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के खिलाफ भी दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई है.

एडीजी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के खिलाफ कांग्रेस सरकार में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 12 और आपराधिक षडयंत्र की धारा 120 बी दर्ज किया था. मामले में एसीबी ने कथित तौर पर स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर मणिभूषण से दो किलो सोना जब्त किया था. यह सोना पार्किंग में खड़ी स्कूटी से जब्त किया गया था. इस स्कूटी को मणिभूषण का बताया गया और दो किलो सोना को आईपीएस जीपी सिंह के अवैध कमाई का हिस्सा बताया गया जिसे खपाने के लिए अपने परिचित में स्टेट बैंक के मैनेजर मणि भूषण को देने की कहानी एसीबी द्वारा बताई गई थी. मामले में जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एसीबी द्वारा तो दर्ज किया ही गया था साथ में उनकी पत्नी, माता-पिता और पारिवारिक मित्र के खिलाफ भी दर्ज किया गया था. जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रद्द कर दिया था. जबकि उनके माता-पिता का देहावसान हो चुका है जिसके चलते उनके माता-पिता के ऊपर केस खत्म हो चुका है।